राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बायतु

दिनांकः– 05.12.2022

क्रमांक / वाद / 2022 / 1463

राजस्व आवेदन संख्या – 57 / 2021

प्रार्थीगण

श्री सारोंदेवी पत्नी अणदाराम जाति जाट निवासी लुणाड़ा, पटवार मण्डल लुणाड़ा, तह. बायतु जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण

श्री जोगाराम पुत्र गोरधनराम वगैरा 04 जाति जाट निवासी लुणाड़ा, पटवार मण्डल लुणाड़ा, तह. बायतु जिला बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

आदेश

प्रार्थीनी के खातेदारी खेत मौजा–लुणाड़ा, पटवार मण्डल– लुणाड़ा, तहसील–बायतु, जिला–बाड़मेर के खेत खसरा नम्बर 1545 / 793 रकबा 4.8540 हैक्टेयर भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकार है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान / नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थीनी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमिशनर स्वयं या सहायक कमिशनर से प्रार्थीगण के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमिशनर शुल्क 500 / – जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबंधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता हैं।

5/12/2022

(मनोज)
उपखण्ड अधिकारी बायतु
दिनांकः– 05.12.2022

क्रमांक / वाद / 2022 / 1464-1468

प्रतिलिपि :–निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार, बायतु।
2. पटवारी बायतु लुणाड़ा को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थीनी श्री सारोंदेवी पत्नी अणदाराम।
4. विप्रार्थीगण श्री जोगाराम पुत्र गोरधनराम वगैरा 4।
5. थानाधिकारी पुलिस थाना, बायतु।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj
Date: 2022.12.21 17:35:19 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बायतु